इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई 2020—श्रावण 2, शक 1942

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2020

क्र. ई-1-97-2020-5-एक.—श्री रवीन्द्र सिंह, भाप्रसे (2004), नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सचिव, मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया जाता है.

(2) श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे (1996) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गोपाल रेड्डी, मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2020

क्र. ई-1-89-2020-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 मार्च 2020 जिसके द्वारा श्री संदीप कुमार माकिन, भाप्रसे (2010), आयुक्त, नगरपालिक निगम, ग्वालियर की पदस्थापना संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, भोपाल के पद पर की गई है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है एवं पुन: उन्हें आयुक्त, नगर पालिक निगम, ग्वालियर के पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है.

(2) उक्त समसंख्यक आदेश द्वारा श्री हर्ष दीक्षित, भाप्रसे (2013), अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर की पदस्थापना आयुक्त, नगरपालिक निगम, ग्वालियर के पद पर की गई है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2020

क्र. ई-1-100-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री लोकेश कुमार जाटव (2004), कलेक्टर, जिला इन्दौर.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
2	श्री मनीष सिंह (2009), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल.	कलेक्टर, जिला इन्दौर

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2020

क्र. ई-1-101-2020-5-एक.—श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश पदस्थ करते हुए उन्हें प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगकी विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2020

क्र. ई-1-92-2020-5-एक.—श्री ए. पी. श्रीवास्तव, भाप्रसे (1984), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-1-104-2020-5-एक.—डॉ. अशोक कुमार भार्गव, भाप्रसे (2001), कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2020

क्र. ई-5-839-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रेनू पंत, भाप्रसे, विकअ-सह-सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल को दिनांक 26 फरवरी से 8 अप्रैल 2020 तक, तैंतालीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती रेनू पंत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भोपाल, दिनांक 4 मई 2020

क्र. ई-1-134-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री शशांक मिश्रा (2007), कलेक्टर, जिला उज्जैन.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

(1)	(2)	(3)
2	श्री आशीष सिंह (2010), आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर.	कलेक्टर, जिला उज्जैन.
3	सुश्री प्रतिभा पाल (2012), कलेक्टर, जिला श्योपुर.	आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर.

भोपाल, दिनांक 6 मई 2020

क्र. ई-1-136-2020-5-एक.—श्री विवेक कुमार, भाप्रसे (2017), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शुजालपुर, जिला शाजापुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुक्षी, जिला धार पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 8 मई 2020

क्र. ई-1-99-2020-5-एक.—श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे (1988) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से वि.क.अ.-सह-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश के पद पर पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए) घोषित किया जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती वीरा राणा द्वारा वि.क.अ.-सह-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अंतर्गत वि.क.अ.-सह-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित अध्यक्ष, राजस्व मण्डल के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

(3) उपरोक्तानुसार श्रीमती वीरा राणा द्वारा वि.क.अ.-सह-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अरूण तोमर, भाप्रसे (2002), अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए) तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार) केवल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 9 मई 2020

क्र. ई-1-137-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री एम. गोपाल रेड्डी (1985), पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत.	अध्यक्ष राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	—
2	श्री आई.सी.पी. केशरी (1988), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग एवं वि.क.अ.-सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल तथा वि.क.अ.-सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग एवं वि.क.अ.-सह-आयुक्त पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड (अतिरिक्त प्रभार).	—

(1)	(2)	(3)	(4)
3	श्री अनुराग जैन (1989), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली (अतिरिक्त प्रभार).	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली (अतिरिक्त प्रभार).	अध्यक्ष, राजस्व मंडल
4	श्री मोहम्मद सुलेमान (1989), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग, प्रवासी भारतीय विभाग तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग.	अध्यक्ष, राजस्व मंडल
5	श्री विनोद कुमार (1989), उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ. -सह-सदस्य (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन, विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश, शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार प्रकोष्ठ) तथा विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ तथा अपर मुख्य सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय.	अध्यक्ष, राजस्व मंडल
6	श्री जे. एन. कांसोटिया (1989), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग.	अध्यक्ष, राजस्व मंडल
7	डॉ. राजेश कुमार राजौरा (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग.	—
8	श्री मलय श्रीवास्तव (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग, पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त तथा महानिदेशक, एप्को (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त तथा महानिदेशक, एप्को (अतिरिक्त प्रभार).	—

(1)	(2)	(3)	(4)
9	श्री पंकज राग (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव, भारत भवन तथा आयुक्त-सह-संचालक, संस्कृति तथा पुरातत्व एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश भोपाल तथा वि.क.अ., कार्यालय आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग.	—
10	श्री अशोक शाह (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग.	—
11	श्री मनोज गोविल (1991), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग.	—
12	श्री मनु श्रीवास्तव (1991), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश.	प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.	—
13	श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव (1992), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग.	—
14	श्री संजय दुबे (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा.	—
15	श्री नीरज मंडलोई (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग.	—

(1)	(2)	(3)	(4)
16	श्री अनुपम राजन (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	—
17	श्री संजय कुमार शुक्ला (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	—
18	डॉ. पल्लवी जैन गोविल (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.	—
19	श्रीमती दीपाली रस्तोगी (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त, उद्योग.	—
20	श्री शिवशेखर शुक्ला (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव, भारत भवन तथा आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश भोपाल.	—
21	श्री प्रतीक हजेला (AM:1995), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग.	—
22	श्री डी. पी. आहूजा (1996), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग.	—
23	श्री नीतेश कुमार व्यास (1996), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (अतिरिक्त प्रभार).	—

(1)	(2)	(3)	(4)
24	श्री फैज अहमद किदवई (1996), प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग तथा वि. क. अ. -सह-आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड तथा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं. मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा वि. क. अ. -सह-आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश एवं वि.क.अ.-सह-नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार).	—
25	श्री अमित राठौर (1996), वि.क.अ.-सह-पंजीयन, महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश भोपाल.	प्रमख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा वि. क. अ. -सह-आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त.	
26	श्रीमती करलिन खोंगवार देशमुख (1996), वि.क.अ.-सह-आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा वि.क. अ.-सह-आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—
27	श्री सुखवीर सिंह (1997), आयुक्त-सह-सचंलाक, संस्थागत वित्त तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम एवं पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश भोपाल.	—

(2) उपरोक्तानुसार श्री विनोद कुमार द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार प्रकोष्ठ) तथा विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ तथा अपर मुख्य सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह, भाप्रसे (1985), कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार प्रकोष्ठ) तथा विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ (अतिरिक्त प्रभार) तथा अपर मुख्य सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय केवल अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार प्रकोष्ठ) तथा विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ के अतिरिक्त प्रभार तथा अपर मुख्य सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय के प्रभार से मुक्त होंगे.

(3) उपरोक्तानुसार श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री उमाकांत उमराव, भाप्रसे (1996) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग एवं उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई-1-138-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती सोनाली पोंक्षे, वायंगणकर (2000), प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल.	संचालक, आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल.	—
2	डॉ. एम. के. अग्रवाल (2000), आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ (अतिरिक्त प्रभार) तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—
3	श्रीमती रेनू तिवारी (2000), कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना.	आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण.	—
4	श्री पी. नरहरि (2001), आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल तथा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार).	सचिव, मध्यप्रदेश शासन
5	श्री राजेश बहुगुणा (2001), आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.	सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.	—
6	श्री मोहन लाल मीना (MT: 2001) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल.	—
7	श्री राजीव चन्द्र दुबे (2002), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.	—

(1)	(2)	(3)	(4)
8	श्री अजीत कुमार (2002), संचालक, आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.	आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल.	—
9	श्री नरेश पाल कुमार (2002), आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल.	कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल.	—
10	श्री रविन्द्र कुमार मिश्रा (2002), सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	आयुक्त, रेशम, मध्यप्रदेश, भोपाल.	—
11	डॉ. श्रीनिवास शर्मा (2003), सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग	
12	श्री आशीष सक्सेना (2003) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.	आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ (अतिरिक्त प्रभार).	—
13	श्री रवीन्द्र सिंह (2004), सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	वि.क.अ.-सह-सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल.	सदस्य राजस्व मण्डल
14	श्री सुदाम पी. खाड़े (2006), संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, (अतिरिक्त प्रभार).	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार).	—
15	श्री श्रीमन शुक्ला (2007), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ तथा प्रबंध संचालक, कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन

(1)	(2)	(3)	(4)
16	श्रीमती स्वाति मीणा नायक (2007), मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल.	संचालक, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
17	श्री स्वतंत्र कुमार सिंह (2007), संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—
18	श्री शशांक मिश्रा (2007), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
19	श्रीमती छवि भारद्वाज (2008), अपर आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश, भोपाल तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
20	श्री कृष्ण गोपाल तिवारी (2008), संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग.-	—
21	श्री विशेष गढ़पाले (2008), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी, लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
22	श्री तेजस्वी एस. नायक (2009), अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम, भोपाल.	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन.
23	डॉ. विजय कुमार जे. (2011), संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण.	संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	उपसचिव मध्यप्रदेश शासन.

(2) श्री एम. बी. ओझा, भाप्रसे (2001), कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(3) उपरोक्तानुसार श्री नरेश पाल कुमार द्वारा कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. अशोक कुमार भार्गव, भाप्रसे (2001), कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा तथा कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल (अतिरिक्त प्रभार) केवल कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) उपरोक्तानुसार श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा आयुक्त, रेशम, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजीव शर्मा, भाप्रसे (2003), आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम तथा आयुक्त, रेशम, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल आयुक्त, रेशम, मध्यप्रदेश, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) उपरोक्तानुसार डॉ. विजय कुमार जे. द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री धनराजू एस. भाप्रसे, (2009), संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास निगम एवं संचालक रोजगार तथा संचालक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(6) श्री आलोक कुमार सिंह (2008), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रवासी भारतीय विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 11 मई 2020

क्र. ई.-1-139-2020-5-एक.—(1) राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री पुष्कर सिंह भावसे (1987), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) मुख्यालय, भोपाल की सेवाएं वन विभाग से लेते हुए उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से आयुक्त-सह-संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है.

(2) श्री एम. कालीदुरई, भावसे (1996), आयुक्त-सह-संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण की सेवाएं तत्काल प्रभाव से वन विभाग को लौटाई जाती हैं.

भोपाल, दिनांक 21 मई 2020

क्र. ई-1-140-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री ऋषि गर्ग (2013), आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	—
2	श्री क्षितिज सिंघल (2014) अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन	आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

भोपाल, दिनांक 23 मई 2020

क्र. ई-1-145-2020-5-एक.—श्री मोहन लाल मीना, भाप्रसे (MT: 2001) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग घोषित किया जाता है.

क्र. ई-1-151-2020-5-एक.—डॉ. भरसट योगेश तुकाराम, भाप्रसे, (2017) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मानपुर, जिला उमरिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़नगर, जिला उज्जैन पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 24 मई 2020

क्र. ई-1-157-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

स.क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री दीपक सिंह (2007), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी परियोजना, भोपाल.	कलेक्टर, जिला सागर
2	श्रीमती प्रीति मैथिल (2009), कलेक्टर, जिला सागर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग.
3	श्री संजीव श्रीवास्तव (2011), उपसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय.	कलेक्टर, जिला उमरिया.
4	श्री स्वरोचिष सोमवंशी (2012), कलेक्टर, जिला उमरिया.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग.

भोपाल, दिनांक 30 मई 2020

क्र. ई-1-125-2020-5-एक.—सुश्री सोनिया मीना, भाप्रसे (2013), अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपायुक्त, मध्यप्रदेश पर्यटन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-1-161-2020-5-एक.—श्री मनोज गोविल, भाप्रसे (1991), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, वित्त एवं योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 1 जून 2020

क्र. ई-1-153-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000/- निश्चित वेतन (पे-मैट्रिक्स-17) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डॉ. राजेश कुमार राजौरा (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग	अध्यक्ष राजस्व मंडल

क्र. ई-1-163-2020-5-एक.—श्री के. के. सिंह, भाप्रसे (1985), कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-465-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रेमचंद मीना, आयएएस., संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल को दिनांक 15 से 18 जून 2020 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रेमचंद मीना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री प्रेमचंद मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रेमचंद मीना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-826-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश को दिनांक 26 मई से 6 जून 2020 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ 24, 25 मई 2020 एवं दिनांक 7 जून 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि की अवकाश अवधि में श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, भाप्रसे, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल तथा आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि द्वारा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, भाप्रसे, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल तथा आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 2 जून 2020

क्र. ई-1-145-2020-5-एक.—श्री मोहन लाल मीना, भाप्रसे (MT: 2001) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को केवल पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 3 जून 2020

क्र. ई-1-161-2020-5-एक.—श्री ओ. पी. श्रीवास्तव, भाप्रसे (2007), अपर सचिव, मुख्य मंत्री तथा संचालक, जनसंपर्क (अतिरिक्त प्रभार) को केवल संचालक, जनसंपर्क के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है.

क्र. ई-1-167-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

स.क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री जनक कुमार जैन (2001), सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.	कमिश्नर, सागर संभाग सागर.
2	श्री अजय सिंह गंगवार (2004), कमिश्नर, सागर संभाग, सागर.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

भोपाल, दिनांक 4 जून 2020

क्र. ई-1-158-2020-5-एक.—सुश्री प्रतिभा पाल, भाप्रसे (2012), आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, इन्दौर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-1-170-2020-5-एक.—श्री कवीन्द्र कियावत, भाप्रसे (2000), कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल को राज्य सभा द्विवार्षिक निर्वाचन दिनांक 19 जून 2020 को संपन्न होने वाले मतदान एवं मतगणना में कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के पालन हेतु समुचित कार्यवाही के लिए नामांकित किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 5 जून 2020

क्र. ई-1-167-2020-5-एक.—श्री अजय सिंह गंगवार, भाप्रसे (2004), सचिव, मध्यप्रदेश शासन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-1-172-2020-5-एक.—श्री दिनेश जैन, भाप्रसे (2011), सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर तथा अपर कलेक्टर जिला इन्दौर (अतिरिक्त प्रभार) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से कलेक्टर, जिला शाजापुर पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-1-452-2020-5-एक.—श्री पंकज राग, भाप्रसे (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 6 जून 2020

क्र. ई-1-169-2020-5-एक.—श्री ऋषि गर्ग, भाप्रसे (2013), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से कार्यकारी संचालक, औद्योगिक विकास निगम, भोपाल पदस्थ किया जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री ऋषि गर्ग द्वारा कार्यकारी संचालक, औद्योगिक विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत कार्यकारी संचालक, औद्योगिक विकास निगम, भोपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

क्र. ई-1-173-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

स.क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री आकाश त्रिपाठी (1998), कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इंदौर.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग.
2	डॉ. पवन कुमार शर्मा (1999), आयुक्त (फील्ड), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर.	कमिश्नर, इन्दौर संभाग इन्दौर.

(2) उपरोक्तानुसार श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीतेश कुमार व्यास, भाप्रसे (1996), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई-1-174-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय (2007), कलेक्टर, जिला देवास.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन	—
2	श्री आलोक कुमार सिंह (2008), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा प्रवासी भारतीय विभाग तथा प्रबंध संचालक, कृषि उद्योग विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार).	कलेक्टर, जिला धार	—

(1)	(2)	(3)	(4)
3	श्री इलैयाराजा टी. (2009), संचालक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम तथा संचालक, विमानन (अतिरिक्त प्रभार).	कलेक्टर, जिला रीवा	—
4	श्री श्रीकान्त बनोठ (2009), कलेक्टर, जिला धार.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन	—
5	श्री जगदीश चन्द्र जटिया (2009), कलेक्टर, जिला मण्डला.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन	—
6	श्री वेदप्रकाश (2009), संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर	—
7	श्री दीपक कुमार सक्सेना (2010), कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन	—
8	श्री अनिल कुमार खरे (2010), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग.	कलेक्टर, जिला मण्डला	—
9	श्री बसंत कुर्रे (2010) कलेक्टर, जिला रीवा.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन	—
10	श्री वी. एस. चौधरी कोलसानी (2011), कलेक्टर, जिला सिंगरौली.	आयुक्त नगर पालिक निगम, भोपाल	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
11	श्री बी. विजय दत्ता (2011), आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन	—
12	श्री चन्द्रमौली शुक्ला (2011), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग एवं वि.क.अ. विशेष परियोजनाएं.	कलेक्टर, जिला देवास	—
13	श्री संजय कुमार (2011), कलेक्टर, जिला आगर-मालवा.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन	—
14	श्री राजीव रंजन मीना (2012), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, भोपाल तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग.	कलेक्टर, जिला सिंगरौली	—
15	श्री अवधेश शर्मा (2012), उपसचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय.	कलेक्टर, जिला आगर-मालवा	—

भोपाल, दिनांक 8 जून 2020

क्र. ई.-5-465-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रेमचंद मीना, आयएएस., संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जून 2020 द्वारा दिनांक 15 से 18 जून 2020 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 9 से 12 जून 2020 तक, चार दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जून 2020 की बांकी कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2020

क्र. ई-1-175-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री आशीष कुमार (2009), आयुक्त, नगरपालिक निगम, जबलपुर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग.	—
2	श्री अनूप कुमार सिंह (2013), अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर.	आयुक्त, नगरपालिक निगम, जबलपुर	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
3	श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीहोर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
4	श्री अवि प्रसाद (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायसेन.	अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
5	श्री मृणाल मीना (2015), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़.	आयुक्त, नगरपालिक निगम, रीवा	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
6	श्री अर्पित वर्मा (2015), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रीवा एवं आयुक्त, नगरपालिक निगम, रीवा. (अतिरिक्त प्रभार).	अपर कलेक्टर, जिला शहडोल	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
7	श्री आशीष तिवारी (2016), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोलारस, जिला शिवपुरी.	अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
8	श्री आशीष सांगवान (2016), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैरसिया, जिला भोपाल.	अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ (कनिष्ठ वेतनमान).	—

(1)	(2)	(3)	(4)
9	श्री सिद्धार्थ जैन (2016), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व). नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ.	—
10	श्री स्वप्निल जी. वानखड़े (2016), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनगर, जिला छतरपुर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रीवा.	—
11	श्री गौरव बैनल (2016), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महिदपुर, जिला उज्जैन.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खरगौन.	—
12	सुश्री मिशा सिंह (2016), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायसेन, जिला रायसेन.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शाजापुर.	—

क्र. ई-1-176-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	डॉ. अशोक कुमार भार्गव (2001), कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.
2	श्री राजेश कुमार जैन (2004), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा.

क्र. ई.-5-951-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रवीन्द्र सिंह, आयएएस., तत्कालीन सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग पूल) वर्तमान में विकअ-सह-सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल को दिनांक 11 से 23 मई 2020 तक, तेरह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 मई 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री रवीन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवीन्द्र सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2020

क्र. ई-5-816-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजीव सिंह, आयएएस., संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 31 अगस्त से 11 सितम्बर 2020 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 अगस्त 2020 एवं दिनांक 12, 13 सितम्बर 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 12 जून 2020

क्र. ई-1-171-2020-5-एक.—श्री वीरेन्द्र कुमार, भाप्रसे (2011), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सचिव, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-1-178-2020-5-एक.—श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त तथा पुनर्वास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, महानिदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-1-179-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय (2007), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग.	—
2	श्री श्रीकान्त बनोठ (2009), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	प्रबंध संचालक, कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
3	श्री जगदीश चन्द्र जटिया (2009), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग.	—
4	श्री भास्कर लक्षकार (2010), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.	प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम तथा संचालक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
5	श्री छोटे सिंह (2010), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग.	—
6	श्री दीपक कुमार सक्सेना (2010), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
7	श्री बसंत कुर्रे (2010), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	—
8	श्री चन्द्रशेखर वालिम्बे, (2010), सचिव, भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), भोपाल.	अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन	—
9	श्री बी. विजय दत्ता (2011), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग.	—
10	श्री गिरिश शर्मा (2011), प्रमुख सलाहकार, नगरीय प्रशासन, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल.	संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

भोपाल, दिनांक 14 जून 2020

क्र. ई-1-185-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती हर्षिका सिंह (2012), कलेक्टर, जिला टीकमगढ़.	कलेक्टर, जिला मण्डला.
2	श्री सुभाष कुमार द्विवेदी (2012) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.	कलेक्टर, जिला टीकमगढ़.

(2) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-174-2020-5-एक, दिनांक 6 जून 2020 की तालिका के अनुक्रमांक 8 पर अंकित श्री अनिल कुमार खरे, भाप्रसे (2010), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से कलेक्टर, जिला मण्डला के पद पर किए गए स्थानांतरण को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है. श्री अनिल कुमार खरे पूर्ववत् उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पदस्थ रहेंगे.

भोपाल, दिनांक 15 जून 2020

क्र. ई-1-186-2020-5-एक.—डॉ. संजय गोयल (2003) को विदेश प्रशिक्षण से लौटने पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश पदस्थ करते हुए नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार डॉ. संजय गोयल द्वारा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे (1996), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश एवं वि.क.अ.-सह-नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार) केवल वि.क.अ.-सह-आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश एवं वि.क.अ.-सह-नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 16 जून 2020

क्र. ई-1-183-2020-5-एक.—श्री रिपुदमन सिंह भदौरिया, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग के दिनांक 15 से 19 जून 2020 तक अर्जित अवकाश एवं दिनांक 12 जून 2020 (अपराह्न) से दिनांक 21 जून 2020 तक मुख्यालय अवकाश पर रहने के फलस्वरूप अवकाश की उक्त अवधि में श्री नंदकुमारम्, भाप्रसे (2008), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम,, भोपाल तथा कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन (अ.प्र.) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 17 जून 2020

क्र. ई-1-150-2020-5-एक.—श्री धरणेन्द्र कुमार जैन, भाप्रसे (2012) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश के पद पर पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए) घोषित किया जाता है.

क्र. ई-1-175-2020-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 जून 2020 की तालिका के अनुक्रमांक 3 पर अंकित श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा, भाप्रसे (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीहोर के अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी, भोपाल के पद पर किए गए स्थानांतरण को एतद्द्वारा संशोधित करते हुए, उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, डिण्डोरी के पद पर पदस्थ किया जाता है.

(2) श्रीमती अंजू अरूण कुमार, भाप्रसे (2017), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), आष्टा, जिला सीहोर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), शहपुरा, जिला डिण्डोरी के पद पर पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-1-188-2020-5-एक.—डॉ. सोनावणे सौरभ संजय, भाप्रसे (2017), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा, जिला टीकमगढ़ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), सागर जिला सागर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 18 जून 2020

क्र. ई-1-190-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अविनाश लवानिया (2009), संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	कलेक्टर, जिला भोपाल	—
2	श्री तरूण कुमार पिथौड़े (2009), कलेक्टर, जिला भोपाल.	संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

भोपाल, दिनांक 20 जून 2020

क्र. ई-1-191-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री सोमेश मिश्रा (2013), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बड़वानी.	—
2	श्री आदित्य सिंह (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

क्र. ई-1-192-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री राधेश्याम जुलानिया (1985), पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत.	अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2	श्रीमती सलीना सिंह (1986), अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.	अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल.

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती सलीना सिंह द्वारा अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह, भाप्रसे (1985), कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई-1-193-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती सूफिया फारूकी वली (2009), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल.	संचालक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
2	श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी (2012), अपर कलेक्टर, जिला देवास.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग.	—

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती सूफिया फारूकी वली, द्वारा संचालक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री धनराजू एस., भाप्रसे (2009), संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन एवं संचालक, रोजगार तथा संचालक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल संचालक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2020

क्र. ई-1-194-2020-5-एक.—श्री बसंत कुर्रे, भाप्रसे (2010) संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, प्रवासी भारतीय विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 30 जून 2020

क्र. ई-1-188-2020-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 जून 2020 द्वारा डॉ. सोनावणे सौरभ संजय, भाप्रसे (2017), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा, जिला टीकमगढ़ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सागर जिला सागर के पद पर किये गए स्थानांतरण को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. ई-1-203-2020-5-एक.—सुश्री संस्कृति जैन, भाप्रसे (2015), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अलीराजपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2020

क्र. ई-1-153-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000/- निश्चित वेतन (पे-मैट्रिक्स-17) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री एस. एन. मिश्रा (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग एवं परिवहन विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग एवं परिवहन विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	अध्यक्ष राजस्व मंडल

क्र. ई-1-200-2020-5-एक.—श्री दीपक कुमार सक्सेना, भाप्रसे (2010), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन नवकरणीय ऊर्जा विभाग घोषित किया जाता है. साथ ही उन्हें अपर आयुक्त कार्यालय आयुक्त नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-1-207-2020-5-एक.—श्री अशोक शाह, भाप्रसे (1990) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जून 2020

क्र. एफ-19-79-2015-एक-4.—राज्य शासन द्वारा विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 दिसम्बर 2015 द्वारा श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को मध्यप्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था. श्री दाणी द्वारा दिनांक 30 जून 2020 से अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन, एतद्द्वारा "राज्य भूमि सुधार आयोग" के अध्यक्ष पद पर श्री जी. पी. सिंघल, सेवानिवृत्त आय.ए.एस. को नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 मई 2020

क्र. ई-5-766-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शोभित जैन, आयएएस., सचिव, मानव अधिकार आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 28 फरवरी 2020 द्वारा दिनांक 20 जनवरी से 1 फरवरी 2020 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में, अब, उन्हें दिनांक 2 से 14 फरवरी 2020 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 फरवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री शोभित जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शोभित जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-890-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनुराग चौधरी, आयएएस., तत्कालीन कलेक्टर, जिला ग्वालियर (वर्तमान में अपर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर) को दिनांक 16 से 20 मार्च 2020 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 मार्च 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-977-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री आशीष वशिष्ठ, आयएएस., तत्कालीन अपर संचालक, संचालनालय, कौशल विकास जबलपुर (वर्तमान में अपर कलेक्टर, जिला भोपाल) को समसंख्यक आदेश दिनांक 27 फरवरी 2020 द्वारा दिनांक 19 से 20 मार्च 2020 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 28 मई 2020

क्र. ई-5-871-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री धनराजू एस. भाप्रसे (2009), संचालक कौशल विकास मध्यप्रदेश तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन एवं संचालक, रोजगार तथा संचालक प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 2 मार्च 2020 द्वारा दिनांक 16 से 20 मार्च 2020 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. ई-5-1003-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अभय कुमार वर्मा, आयएएस., राज्यपाल के अपर सचिव, राजभवन, भोपाल को दिनांक 8 से 15 मई 2020 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 मई 2020 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री अभय कुमार वर्मा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभय कुमार वर्मा, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 2 जून 2020

क्र. ई-5-816-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री संजीव सिंह, आयएएस., संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास को समसंख्यक आदेश दिनांक 8 मई 2020 द्वारा दिनांक 26 मई से 10 जून 2020 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 6 जून 2020

क्र. ई-5-865-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री व्ही. किरण गोपाल, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को समसंख्यक आदेश दिनांक 12 मार्च 2020 द्वारा दिनांक 12 से 18 मार्च 2020 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 12 से 19 मार्च 2020 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 12 मार्च 2020 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेगी.

क्र. ई-5-979-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़, आयएएस., अपर कलेक्टर, जिला गुना को दिनांक 4 से 19 जून 2020 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, अपर कलेक्टर, जिला गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 17 जून 2020

क्र. ई.-5-874-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती प्रीति मैथिल, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिनांक 8 जून से 10 जुलाई 2020 तक, तैंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रीति मैथिल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती प्रीति मैथिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रीति मैथिल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 24 जून 2020

क्र. ई-5-1076-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ललित दाहिमा, आयएएस., उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 1 से 8 जून 2020 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री ललित दाहिमा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ललित दाहिमा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 25 जून 2020

क्र. ई-5-912-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. विजयदत्ता, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 11 से 24 जून 2020 तक, चौदह दिन का अजित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. विजयदत्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री बी. विजयदत्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. विजयदत्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2020

क्र. ई. 5-1044-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री प्रीति यादव, भाप्रसे., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 10 अक्टूबर 2019 से 7 अप्रैल 2020 तक, एक सौ अस्सी दिन के स्वीकृत प्रसूति अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 8 अप्रैल से 6 जून 2020 तक, साठ दिन का Leave not due कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में सुश्री प्रीति यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री प्रीति यादव, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई.-5-1083-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उषा परमार, भाप्रसे उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह को ई-आफिस समसंख्यक आदेश दिनांक 23 दिसम्बर 2019 द्वारा दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव (कार्मिक).

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2020

क्र. ई-1-166-2014-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 69 (अ), दिनांक 28 जनवरी 2014 द्वारा भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 7 में आवश्यक संशोधन करते हुए भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की नियुक्तियों के संबंध में सिफारिश करने के लिए निम्नानुसार सिविल सेवा बोर्ड के गठन हेतु प्रावधानित किया गया है:—

(i)	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(ii)	वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव अथवा अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड या वित्त आयुक्त या समकक्ष पद या स्तर का कोई अधिकारी.	सदस्य
(iii)	राज्य सरकार के कार्मिक विभाग में प्रमुख सचिव या सचिव.	सदस्य-सचिव
(iv)	प्रधान सचिव या सचिव, वन	सदस्य
(v)	प्रधान मुख्य वनसंरक्षक	सदस्य

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 अक्टूबर 2019 द्वारा गठित सिविल सेवा बोर्ड में अब श्री आई. सी. पी. केशरी भाप्रसे. (1988), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग एवं वि.क.अ.-सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को सदस्य नामांकित किया जाता है.

(3) उपरोक्तानुसार गठित सिविल सेवा बोर्ड के कार्यकरण एवं उसके द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भारत सरकार की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी 2014 में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अर्चना सोलंकी, उपसचिव ''कार्मिक''.

भोपाल, दिनांक 6 मई 2020

क्र. ई-5-462-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएएस., तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग (वर्तमान में महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल) को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 फरवरी 2020 द्वारा दिनांक 1 अप्रैल से 25 अगस्त 2020 तक, एक सौ सैंतालीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव ''कार्मिक''.

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2020

क्र. एफ-ए-5-13-2020-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, माननीय न्यायाधिपति श्रीमती अंजुली पालो, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्युटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 4 से 6 मार्च 2020 तक.	तीन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश.	—

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2020

क्र. 744-आर 145-2019-एक-10.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय न्यायमूर्ति श्री यू. सी. माहेश्वरी, उप लोकायुक्त, भोपाल को दिनांक 2 से 13 मार्च 2020 तक, बारह दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, अवर सचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र क्रमांक 267-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21 रीवा, दिनांक 23 जुलाई 2020

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 के तहत कराई गई थी,कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू–अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू–अर्जन अधिनियम की धारा–25 के तहत दिनांक 12.07.2020 से 12.07.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है,सभी संबन्धित ब्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं।

अनुसूची

भूमि का बर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकवा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
रीवा	सेमरिया	अंगेठिया	33	0.202	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग कमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवॉ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
			34	0.066		
			35	0.075		
			40	0.202		
			41	0.026		
			42	0.070		
			43	0.030		
			45	0.125		
			46	0.014		
			कुल योग	0.810 हेक्टयर		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है।

पत्र क्रमांक 269-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 के तहत कराई गई थी,कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू–अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू–अर्जन अधिनियम की धारा–25 के तहत दिनांक 01.02.2020 से 01.02.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है,सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं।

अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकवा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
सतना	बिरसिंहपुर	बहेरा	77	0.067	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग कमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवॉ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
			132	0.173		
			133	0.009		
			134	0.245		
			135	0.153		
			136	0.062		
			139	0.057		
			140	0.062		
			143	0.009		
			144	0.276		
			148	0.201		
			149	0.004		
			152	0.024		
			153	0.016		
			154	0.017		
			183	0.009		
			184	0.240		
			185	0.101		
			210	0.096		
			211	0.048		
			213	0.374		
			217	0.024		
			219	0.153		
			कुल योग	2.420 हेक्टयर		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है।

पत्र क्रमांक 271–प्रका.–भू–अर्जन–2020–21

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) : वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथव आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 के तहत कराई गई थी,कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू–अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू–अर्जन अधिनियम की धारा–25 के तहत दिनांक 19.07.2020 से 19.07.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है,सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं।

अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकवा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
रीवा	सेमरिया	पिपराछा	1	0.019	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग कमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवॉ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
			5	0.030		
			6	0.134		
			7	0.039		
			8	0.091		
			10	0.072		
			11	0.055		
			65	0.011		
			68	0.056		
			69	0.048		
			70	0.064		
			72	0.050		
			73	0.056		
			74	0.231		
			75	0.025		
			87	0.065		
			89	0.007		
			112	0.036		
			113	0.099		
			115	0.045		
			116	0.015		
			117	0.002		
			121 शा.नं.	0.012		
			122			
			124	0.090		
			125	0.044		
			133	0.070		
			134	0.069		
			136	0.040		
			137	0.022		
			138	0.122		
			167	0.017		
			कुल योग	1.736 हेक्टयर		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है।

पत्र क्रमांक 273-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 के तहत कराई गई थी,कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू–अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू–अर्जन अधिनियम की धारा–25 के तहत दिनांक 19.07.2020 से 19.07.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है,सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।राज्य शासन द्वारा के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं।

अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
सतना	बिरसिंहपुर	मेंहुती	963	0.086	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग कमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवॉ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
			968	0.088		
			969	0.025		
			970	0.015		
			971	0.293		
			976	0.739		
			1095	0.139		
			1097	0.038		
			1098	0.034		
			1109	0.199		
			1113	0.207		
			1117	0.086		
			1118	0.060		
			1354	008		
			1356	0.026		
			1357	0.029		
			1358	0.048		
			1359	0.024		
			1360	0.060		
			1362	0.149		
			1363	0.130		
			1432	0.070		
			1433	0.035		
			1434	0.034		
			1435	0.030		
			1436	0.115		
			1437	0.006		

1493	0.010
1536	0.048
1541	0.067
1542	0.067
1543	0.161
1544	0.014
1545	0.031
1546	0.065
1551	0.005
1552	0.118
1553	0.041
1555	0.044
1556	0.060
1560	0.043
1561	0.021
1562	0.029
1844	0.058
1845	0.006
1850	0.010
1851	0.077
1853	0.138
1854	0.064
1855	0.002
1856	0.055
1981	0.032
1983	0.178
1984	0.007
1985	0.072
2027	0.039
2028	0.061
2029	0.041
2030	0.144
2031	0.084
2032	0.074
2033	0.034
2034	0.035
3028	0.132
3029	0.156
3031	0.144
3032	0.209
3055	0.008
3056	0.048
3058	0.082
3059	0.070
3060	0.060
38	0.094
39	0.108
48	0.018
49	0.255
50	0.147
51	0.018

		53	0.092
		57	0.004
		58	0.030
		59	0.088
		60	0.026
		61	0.043
		63	0.014
		64	0.108
		65	0.199
		117	0.186
		118	0.116
		119	0.072
		120	0.125
		121	0.091
		122	0.010
		223	0.036
		225	0.111
		226	0.156
		220	0.067
		221	0.058
		227	0.029
		254	0.085
		255	0.064
		256	0.074
		257	0.074
		258	0.034
		259	0.144
		330	0.034
		331	0.031
		332	0.031
		333	0.048
		334	0.049
		335	0.132
		339	0.230
		669	0.049
		670	0.022
		671	0.074
		672	0.062
		673	0.072
		674	0.049
		680	0.041
		681	0.101
		685	0.214
		686	0.034
		692	0.106
		693	0.110
		747	0.049
		748	0.007
		749	0.049
		760	0.019
		764	0.035

			772	0.218			
			773	0.061			
			2524	0.036			
			2525	0.044			
			2526	0.091			
			2527	0.015			
			2528	0.014			
			2541	0.077			
			2542	0.147			
			2543	0.006			
			2545	0.011			
			2546	0.097			
			कुल योग	10.958 हेक्टयर			

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है।

पत्र क्रमांक 275-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मु उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 के तहत कराई गई थी,कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू–अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू–अर्जन अधिनियम की धारा–25 के तहत दिनांक 19.07.2020 से 19.07.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है,सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं।

अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
रीवा	रघुराजनगर	कुंआ	297	0.147	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग कमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवॉ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
			299	0.112		
			300	0.133		
			304	0.032		
			306	0.093		
			316	0.019		
			324	0.054		
			326	0.323		
			334	0.051		
			335	0.222		
			341	0.058		
			343	0.026		
			355	0.082		
			356	0.003		
			357	0.038		

			358	0.069			
			359	0.026			
			360	0.028			
			360/1618	0.026			
			361	0.026			
			362	0.299			
			363	0.232			
			364	0.154			
			402	0.032			
			403	0.089			
			403/1583	0.224			
			404	0.046			
			405	0.294			
			406	0.120			
			409	0.036			
			420	0.038			
			421	0.190			
			422	0.240			
			423	0.080			
			424	0.141			
			426	0.002			
			427	0.016			
			438	0.042			
			कुल योग	3.847 हेक्टयर			

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है।

पत्र क्रमांक 277–प्रका.–भू–अर्जन–2020–21

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 के तहत कराई गई थी,कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू–अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू–अर्जन अधिनियम की धारा–25 के तहत दिनांक 19.07.2020 से 19.07.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है,सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं।

अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
सतना	कोटर	चूंदकला	4/1	0.048	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवॉ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
			4/2	0.048		
			5	0.100		
			14/1	0.086		
			15	0.072		
			16	0.043		
			18	0.123		
			21	0.014		

			22	0.084		
			77	0.108		
			78	0.022		
			79	0.080		
			80	0.031		
			81/1	0.036		
			82	0.072		
			88	0.043		
			179	0.177		
			180	0.016		
			183	0.110		
			185	0.118		
			188	0.086		
			189	0.216		
			197	0.086		
			198	0.034		
			199	0.033		
			200	0.106		
			201/1	0.037		
			201/2	0.010		
			202	0.058		
			203	0.163		
			204	0.098		
			207	0.016		
			209/1	0.058		
			209/2	0.045		
			210	0.051		
			211	0.045		
			212	0.058		
			213/1/ख	0.007		
			213/2	0.083		
			258	0.048		
			कुल योग	2.769 हेक्टयर		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है।

पत्र क्रमांक 279-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 के तहत कराई गई थी,कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू–अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू–अर्जन अधिनियम की धारा–25 के तहत दिनांक 12.07.2020 से 12.07.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है,सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं।

अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन व वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
सतना	बिरसिंहपुर	उजेनी	4	0.002	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग कमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना व अन्तर्गत मझगवॉ शाख नहर निर्माण हेतु ।
			5	0.040		
			6	0.059		
			15	0.034		
			16	0.036		
			17	0.044		
			18	0.051		
			19	0.086		
			20	0.024		
			27	0.082		
			28	0.010		
			51	0.086		
			206/57	0.096		
			58	0.005		
			59	0.048		
			60	0.024		
			61	0.020		
			64	0.008		
			107	0.135		
			110	0.097		
			111	0.155		
			116	0.022		
			117	0.022		
			118	0.010		
			119	0.024		
			120	0.005		
			127	0.074		
			205	0.010		
			कुल योग	1.252 हेक्टयर		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है।

पत्र क्रमांक 281-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मु उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 के तहत कराई गई थी,कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू–अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू–अर्जन अधिनियम की धारा–25 के तहत दिनांक 01.02.2020 से 01.02.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है,सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं।

अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकवा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
सतना	रघुराजनगर	सरबहना	56	0.147	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग कमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवॉ शाख नहर निर्माण हेतु ।
			55/229	0.109		
			56/230	0.080		
			72	0.051		
			77	0.100		
			66	0.046		
			86	0.064		
			85	0.216		
			106	0.182		
			108	0.025		
			109	0.096		
			110	0.059		
			115	0.186		
			112	0.137		
			कुल योग	1.498 हेक्टेयर		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है।

पत्र क्रमांक 283–प्रका.–भू–अर्जन–2020–21

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवः आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिक का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 के तहत कराई गई थी,कतिपय कारणो से निर्धारित अ की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू–अर्जन अधिनियम की धारा–25 के तहत दिनांक 07.12.2019 से के लिये बढ़ाई जाती है,सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं।

अनुसूची

भूमि का बर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्व वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकवा हे.		
1	2	3	4	5	6	
सतना	रघुराजनगर	फुटौंधा	423	0.080	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग कमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (मं0प्र0)	बाणर अन्त नहर
			427	0.026		
			428	0.004		
			429	0.058		
			431	0.045		
			433	0.109		
			434	0.205		
			437	0.368		
			443	0.026		
			443/592	0.032		
			451	0.106		
			452	0.070		
			482	0.013		
			483	0.058		
			487	0.071		
			497	0.236		
			498	0.090		
			499	0.243		
			503	0.013		
			504	0.016		
			535	0.141		
			536	0.051		
			540	0.217		
			555	0.080		
			556	1.384		
			557	0.454		
			558	1.819		
			कुल योग	6.015 हेक्टयर		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है।

पत्र क्रमांक 285-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 के तहत कराई गई थी,कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू–अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू–अर्जन अधिनियम की धारा–25 के तहत दिनांक 12.07.2020 से 12.07.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है,सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं।

अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकवा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
सतना	बिरसिंहपुर	नकेहली	2	0.066	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग कमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवॉ शाख नहर निर्माण हेतु ।
			3	0.310		
			32	0.005		
			33	0.195		
			35	0.010		
			36	0.202		
			40	0.008		
			146	0.060		
			147	0.004		
			148	0.060		
			149	0.010		
			158	0.004		
			159	0.160		
			160	0.024		
			161	0.060		
			162	0.060		
			163	0.095		
			165	0.002		
			172	0.004		
			173	0.004		
			212	0.018		
			कुल योग	1.361 हेक्टयर		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है।

पत्र क्रमांक 287-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथव आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 के तहत कराई गई थी,कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू–अर्ज की कार्यवाही पूर्ण नही होने से भू–अर्जन अधिनियम की धारा–25 के तहत दिनांक 12.07.2020 से 12.07.2021 त के लिये बढ़ाई जाती है,सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।राज्य शास इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी ग शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं।

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नम्बर	रकबा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
सतना	बिरसिंहपुर	मिश्रगवा	10	0.162	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग कमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना अन्तर्गत मझगवॉ शाख नहर निर्माण हेतु ।
			247	0.017		
			11	0.128		
			26	0.259		
			27	0.049		
			28	0.022		
			32	0.002		
			40	0.048		
			41	0.109		
			42	0.080		
			43	0.080		
			45	0.048		
			69	0.250		
			70	0.006		
			72	0.013		
			73	0.109		
			74	0.109		
			76	0.007		
			77	0.083		
			78	0.090		
			79	0.006		
			80	0.026		
			90	0.040		
			91	0.243		
			92	0.122		
			93	0.014		
			94	0.051		
			95	0.061		
			96	0.002		
			97	0.024		
			98	0.002		
			205	0.060		
			206	0.010		
			207	0.185		
			208	0.032		
			209	0.117		

				210	0.040		
				242	0.051		
				243	0.002		
				244	0.002		
				246	0.020		
				कुल योग	2.781 हेक्टयर		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है।

पत्र क्रमांक 289–प्रका.–भू–अर्जन–2020–21

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथ आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शि का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 के तहत कराई गई थी,कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू–अर्ज की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू–अर्जन अधिनियम की धारा–25 के तहत दिनांक 12.07.2020 से 12.07.2021 त के लिये बढ़ाई जाती है,सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।राज्य शास इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी ग शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं।

अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकवा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
सतना	रघुराजनगर	खम्हरिया	24	0.005	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग कमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना अन्तर्गत मझगवॉ शार नहर निर्माण हेतु ।
			33	0.168		
			38/1005	0.139		
			88	0.134		
			329	0.035		
			366	0.149		
			601	0.144		
			602	0.010		
			605	0.041		
			606	0.115		
			607	0.038		
			608	0.055		
			607/1007	0.053		
			666	0.010		
			667	0.211		
			668	0.010		
			669	0.125		
			671	0.010		
			672	0.010		
			673	0.283		
			कुल योग	1.745हेक्टयर		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है।

पत्र क्रमांक 291–प्रका.–भू–अर्जन–2020–21

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 के तहत कराई गई थी,कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू–अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू–अर्जन अधिनियम की धारा–25 के तहत दिनांक 01.02.2020 से 01.02.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है,सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं।

अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
सतना	बिरसिंहपुर	हरिहरपुर	1	0.453	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग कमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवॉ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
			6	0.247		
			7	0.139		
			8	0.206		
			9	0.130		
			10	0.130		
			11	0.061		
			12	0.216		
			28	0.320		
			37	0.332		
			170	0.100		
			179	0.024		
			180	0.040		
			193	0.009		
			194	0.255		
			195	0.559		
			203	0.576		
			204	0.018		
			207	0.105		
			211	0.360		
			212	0.202		
			213	0.016		
			214	0.025		
			215	0.134		
			217	0.004		
			कुल योग	4.621 हेक्टयर		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है।

पत्र क्रमांक 293–प्रका.–भू–अर्जन–2020–21

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 के तहत कराई गई थी,कतिपय कारणो से निर्धारित अवधि में भू–अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू–अर्जन अधिनियम की धारा–25 के तहत दिनांक 12.07.2020 से 12.07.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है,सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है।राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं।

अनुसूची

भूमि का बर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकवा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
रीवा	सेमरिया	छिरहटा	2	0.059	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग कमांक 3 देवलोंद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवॉ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
			3	0.056		
			22	0.056		
			23	0.034		
			24	0.022		
			25	0.028		
			48	0.056		
			49	0.048		
			53	0.050		
			54	0.062		
			77	0.017		
			111	0.084		
			112	0.106		
			114	0.047		
			120	0.056		
			121	0.163		
			122	0.032		
			123	0.048		
			124	0.012		
			125	0.022		
			140	0.002		
			141	0.002		
			142	0.002		
			143	0.012		
			144	0.010		
			145	0.039		
			146	0.032		
			147	0.067		

			151	0.045		
			152	0.101		
			153	0.044		
			192	0.006		
			200	0.004		
			201	0.090		
			202	0.002		
			206	0.084		
			208	0.004		
			209	0.056		
			210	0.056		
			211	0.034		
			214	0.056		
			215	0.045		
			216	0.045		
			230	0.017		
			231	0.062		
			233	0.135		
			234	0.022		
			235	0.008		
			236	0.004		
			237	0.073		
			240	0.002		
			कुल योग	2.219 हेक्टयर		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय मे देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 2-10-2019-सात-शाखा-7 भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2020

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 के अधीन विरचित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 121 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, किसी राजस्व मामले के लिए आदेशिका फीस या प्रकरण फीस, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 के नियम 418 (क) के अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 नवम्बर, 2018 में प्रकाशित, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक A/3957 दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 के अनुसार होगी, जो वर्तमान में रूपए 100/- प्रति प्रकरण है तथा यह समय-समय पर उच्च न्यायालय की अधिसूचनाओं के अनुसार परिवर्तनीय होगी। आदेशिका फीस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साईबर कोषालय में, न कि नगद, मुख्य शीर्ष 0029-00-800 अन्य प्राप्तियां 0019- राजस्व न्यायालय प्रकरण पंजीयन तथा आदेशिका के लिए फीस में संदत्त की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त पाण्डेय, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2020

क्र. एफ-2-10-2019-सात-शा-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-10-2019-सात-शा-7, दिनांक 24 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त पाण्डेय, अपर सचिव.

No. F-2-10-2019-VII-Sec-7 Bhopal, the 24th July 2020

In exercise of the powers conferred by Rule 121 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nyayalayon Ki Prakriya) Niyam, 2019 framed under Section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the process fee or case fee for a Revenue Case shall be in accordance with the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur Notification No. A/3957 dated 30 October, 2018, published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 16th November, 2018 as per Rule 418 (A) of the Madhya Pradesh Civil Courts Rules, 1961 which at present is Rupees 100/- per case and it shall be alterable as per the notifications of the High Court from time to time. The process fee shall be paid in MAIN HEAD 0029-00-800 Other Receipts 0019-Fee for Revenue Court case registration and processing in cyber treasury by electronic means but not in cash.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SRIKANT PANDEY, Addl. Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

क्रमांक 631-भू सर्वेक्षण-2020 ग्वालियर, दिनांक 22 जुलाई 2020

भू-सर्वेक्षण का प्रारंभ

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता,1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त भू-अभिलेख, मध्य प्रदेश द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गयी अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं -

सरल क्र.	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्र./ सेक्टर क्र.	भू सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सीहोर	सीहोर	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
2	सीहोर	आष्ठा	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
3	सीहोर	इछावर	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
4	सीहोर	बुदनी	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
5	सीहोर	नसरूल्लागंज	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
6	सीहोर	श्यामपुर	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
7	सीहोर	जावर	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
8	सीहोर	रहटी	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र

ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, आयुक्त.

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय

शैक्षणिक परिसर, निर्मला देवी मार्ग, कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल (म. प्र.)

क्रमांक–अकादमी–2020–अबिवाहिंविवि–1890 भोपाल, दिनांक 30 जून 2020

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) की कार्य परिषद् बैठक दिनांक 28/02/2020 के निर्णयानुसार जारी अधिसूचना क्रमांक/अकादमी/अबिवाहिंविवि/2020/1886 भोपाल दिनांक 30.06.2020 द्वारा अधिसूचित किया जाता है विश्वविद्यालय के माध्यम से अध्ययन केन्द्र, स्टडी एक्सटेंशन सेन्टर या स्टडी सेन्टर/सहयोगी संस्था के माध्यम से अध्ययन मंडल द्वारा अनुशंसित एवं विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल तथा अध्ययन केन्द्र, स्टडी एक्सटेंशन सेन्टर या स्टडी सेन्टर/सहयोगी संस्था (भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद् (FACI)) द्वारा मध्य हुए अनुबंध की शर्तों, विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक -103 एवं मार्गदर्शिका में विहित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप पाठ्यक्रम संचालित किए जावेगें। अध्ययन केन्द्र, स्टडी एक्सटेंशन सेन्टर या स्टडी सेन्टर/सहयोगी संस्था में अध्ययनरत पात्र छात्रों को म.प्र. शासन के नियमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। अध्ययन केन्द्र, स्टडी एक्सटेंशन सेन्टर या स्टडी सेन्टर/सहयोगी संस्था (भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद् (FACI))द्वारा प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा कोर्स/प्राथमिक आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा कोर्स व आयुर्वेद फार्मा डिप्लोमा कोर्स तथा अन्य सर्टिफिकेट/डिप्लोमा कोर्स जैसे- आयुर्वेद एवं चिकित्सा/यूनानी एवं चिकित्सा/होम्योपैथिक फार्मेसी/सिद्ध (वैकल्पिक) एवं चिकित्सा एक्यूपंक्चर/नैचुरोपैथिक, यौगिक विज्ञान एवं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा (डिप्लोमा) के पाठ्यक्रम संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्ययन केन्द्र, स्टडी एक्सटेंशन सेन्टर या स्टडी सेन्टर/सहयोगी संस्था (भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद् (FACI)) द्वारा प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि (डिप्लोमा), स्नातकोत्तर पत्रोपाधि, स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रमों को संचालित किया जावेगा। उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्र, स्टडी एक्सटेंशन सेन्टर या स्टडी सेन्टर/सहयोगी संस्था (भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद् (FACI))के माध्यम से रोजगार/स्वरोजगार हेतु अधिकृत परामर्शदाता द्वारा मार्गदर्शित किया जायेगा।

भवदीय,

डॉ. विजय कुमार सिंह, कुलसचिव.

No.-Academy-2020-ABVHVV-1890 Bhopal, the 30th June 2020

In pursuance of the decision of the Executive Council meeting held on 28/02/2020 at Atal Bihari Vajpayee Hindi University, Bhopal (M.P.) a notification No.ABVHVV/2020/1886 dated 30/06/2020 is issued that permission is granted by the Atal Bihari Vajpayee Hindi University to run the Study Centre/Study Extension Centre/Associate Institutions the courses which are recommended by the Board of Studies and approved by the S.C. of A.C. (Standing Council of Academic Council). According to MOU (Memorandum of Understanding) incorporated between the ABVHVV and the FACI, Study Centre/Study Extension Centre/Associate Institutions will have to run the courses according to the provisions laid down by Ordinance No. 103 and the Guidelines issued by the University. The University will issue/pay the scholarship to the students who are studying in Study Centre/Study Extension Centre/Associate Institutions as per the M.P. Govt. rules. It is proposed by the FACI that the Study Centre/Study Extension Centre/Associate Institutions will run the courses like Diploma in Prathmik Chikitsa Visheshagya (First Aid Specialist Diploma), Prathmik Ayurved Chikitsa Diploma (First Aid Ayurveda Medical Specialist Diploma), Ayurveda Pharma Diploma Course and other Certificate/Diploma Courses such as Ayurveda Evm Chikitsa (Ayurved and Treatment/Unani Evm Chikitsa (Unani & Treatment)/Homeopathic Pharmacy/ Siddha Vaikalpic Evm Chikitsa (Siddha Alternative & Treatment)/ Acupuncture/Naturopatic/ Yogic Science & Yoga and Naturopathy (Diploma) courses etc.

The Study Centre/Study Extension Centre/Associate Institutions (First Aid Council of India) will run the Certificate Courses, Diploma Courses, P.G. Diploma Courses, Under Graduate and Post Graduate courses. The University through the Study Centre/Study Extension Centre/Associate Institutions (First Aid Council of India) will provide the employment/self employment guidance through the authorized advisers.

Sincerely,

DR. VIJAY KUMAR SINGH, Registrar.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 131-प्रशा.-भू-अर्जन-2019 रीवा, दिनांक 3 मार्च 2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची में खाने एक से चार में वर्णित भूमि की अनुसूची में खाने छः में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की **धारा 11** की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने पाँच में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ। चूँकि क्योंटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल	धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम			
1	2	3	4	5	6
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	पैपखरा	0.049 हे.	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग रीवा (म.प्र.)	बाणसागर परियोजना के क्योंटी मुख्य नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन।

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

प. क्र. 217-प्रशा.-भू-अर्जन-2020 रीवा, दिनांक 12 मई 2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्तभूमि के संबंध में उक्त धारा-11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करनें के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की

कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा–11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है।

।। अनुसूची ।।

भूमि का वितरण जिला			लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	धारा-11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
1	2	3	4	5	6
रीवा	मऊगंज	डोकरा माठ खुर्द–409	0.100 हे0	कार्यपालन यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म0प्र0)	पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत)

प. क्र. 219-प्रशा.-भू-अर्जन-2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्तभूमि के संबंध में उक्त धारा-11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करनें के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू–अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू–अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा–11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है।

।। अनुसूची ।।

भूमि का वितरण जिला			लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	धारा-11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
1	2	3	4	5	6
रीवा	मऊगंज	पनिगवां–587	0.020 हे0	कार्यपालन यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म0प्र0)	बी.पी.टी.पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत)

प. क्र. 221-प्रशा.-भू-अर्जन-2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्तभूमि के संबंध में उक्त धारा-11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करनें के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू–अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू–अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा–11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है।

।। अनुसूची ।।

भूमि का वितरण जिला			लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	धारा-11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
1	2	3	4	5	6
रीवा	मऊगंज	पथरहा नं. 2, 580	0.020 हे0	कार्यपालन यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म0प्र0)	पहुंच मार्ग एवं पम्प हाउस निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत)

प. क्र. 223-प्रशा.-भू-अर्जन-2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्तभूमि के संबंध में उक्त धारा-11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करनें के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू–अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू–अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा–11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है।

।। अनुसूची ।।

भूमि का वितरण जिला			लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	धारा-11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
1	2	3	4	5	6
रीवा	मऊगंज	भाट मु. ढेरा–784	0.150 हे0	कार्यपालन यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म0प्र0)	पहुंच मार्ग एवं पम्प हाउस निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत)

प. क्र. 225-प्रशा.-भू-अर्जन-2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्तभूमि के संबंध में उक्त धारा-11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करनें के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू–अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू–अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा–11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है।

।। अनुसूची ।।

भूमि का वितरण जिला			लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	धारा-11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
1	2	3	4	5	6
रीवा	मऊगंज	मलैगंवा–823	0.035 हे0	कार्यपालन यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म0प्र0)	बी.पी.टी.पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 3174-जि. भू-अर्जन **सिवनी, दिनांक 26 मई 2020**

चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि, इसमे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक उल्लेखित वर्णित भूमि कि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है | अत: भूमि अर्जन,पुनर्वास, पुर्नव्यवस्थापन में उपुयक्त प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1) के उपबन्धो के अनुसार एतद द्वारा सभी सम्बंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वास, एवं पुर्नव्यवस्थामन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कि धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है |

(2) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा -15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे |

:-अनुसूची:-

1-भूमि का विवरण:-

जिला	तहसील/रा० नि० म०	नगर/ग्राम/प. ह.नं.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल(हे.में)	भूमि अर्जन पुनर्वास पुर्नव्यवस्थापना में उचित और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सिवनी	लखनादौन/ आदेगांव	मढ़ी /प.ह.नं.- 55	5.11 हें.	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र.-1 सिवनी जिला -सिवनी	धुपधटा जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु अर्जन

2. अर्जित कि जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व / भूअर्जन अधिकारी लखनादौन जिला –सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है

3. अर्जित कि जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक़्शे (प्लान), एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है |

4. अर्जित कि जानें वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक़्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्र.-1 लखनादौन जिला –सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है |

5. अर्जित कि जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूअर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है |

क्र. 3676-जि. भू-अर्जन-2020 **सिवनी, दिनांक 18 जून 2020**

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बधिंत हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक–22 (ए) /101/2016/ एमपीएस /31 /1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत् 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है । परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा–11 (3) के अंतर्गत सामाजिक

सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है।

— अनुसूची —

1.–भूमि का विवरणः–

जिला	तहसील / रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. बंडोल	**ग्राम चोरगरठिया ब.न.– 179 प.ह.न.– 36**	कुल रकबा 0.76 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह.चौरई जिला छिंदवाडा(म.प्र.)	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा नहर के डी–4 के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण।

(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू–अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

क्र. 3677-जि. भू-अर्जन-2020

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बधिंत हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक–22 (ए) /101/2016/ एमपीएस /31 /1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत् 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है । परियोजना

के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा–11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है।

— अनुसूची —

1.–भूमि का विवरणः–

जिला	तहसील / रा.नि.म.	नगर / ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी भाग–2	ग्राम सिमरिया ब.न.– 567 प.ह.न.– 99	कुल रकबा 0.96 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाडा(म.प्र.)	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण।

(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू–अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

क्र. 3694-जि. भू-अर्जन-2020

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बधिंत हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक–22 (ए) /101/2016/ एमपीएस /31 /1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत

85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है । परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा–11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है।

— अनुसूची —

1.–भूमि का विवरणः–

जिला	तहसील / रा.नि.म.	नगर / ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. बंडोल	ग्राम गरठिया ब.न.– 127 प.ह.न.– 32	कुल रकबा 1.85 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह.चौरई जिला छिंदवाडा(म.प्र.)	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी–3 की नहर माइनर नं. 3–एल के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण।

(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमाक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू–अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

क्र. 3695-जि. भू-अर्जन-2020

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बधिंत हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक–22 (ए) /101/2016/ एमपीएस /31 /1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत् 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है । परियोजना

के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा–11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है।

— अनुसूची —

1.–भूमि का विवरणः–

जिला	तहसील / रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. बंडोल	ग्राम झिलमिली ब.न.– 223 प.ह.न.– 27	कुल रकबा 2.44 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह.चौरई जिला छिंदवाडा(म.प्र.)	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी–4 की नहर माइनर नं. 4–एल के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण।

(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमाक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू–अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

क्र. 3696-जि. भू-अर्जन-2020

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बधिंत हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक–22 (9) /101/2016/ एमपीएस /31 /1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत् 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशाराकीय स्वीकृति प्राप्त है । परियोजना

के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वॅन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा–11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है।

— अनुसूची —

1.–भूमि का विवरणः–

जिला	तहसील / रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सिवनी	सिवनी रा नि.म. बंडोल	ग्राम परासिया ब.न.– 174 प.ह.न.– 36	कुल रकबा 1.15 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह.चौरई जिला छिंदवाडा(म.प्र.)	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी–4 की नहर माइनर नं. 6–एल के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण।

(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

क्र. 3697-जि. भू-अर्जन-2020

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक–22 (ए) /101/2016/ एमपीएस /31 /1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत्

85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है । परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा–11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है।

— अनुसूची —

1.–भूमि का विवरणः–

जिला	तहसील / रा.नि.म.	नगर/ ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी भाग–1	ग्राम चांवडी ब.न.– 167 प.ह.न.– 128	कुल रकबा 0.16 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाडा(म.प्र.)	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा नहर के 22–एल के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण।

(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग कमांक 6 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू–अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

क्र. 3698-जि. भू-अर्जन-2020

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक–22 (ए) /101/2016/ एमपीएस /31 /1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत् 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है । परियोजना

के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा–11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है।

— अनुसूची —

1.–भूमि का विवरणः–

जिला	तहसील / रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. बंडोल	ग्राम बिहिरिया ब.न.– 417 प.ह.न.– 38	कुल रकबा 0.34 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाडा(म.प्र.)	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा नहर के डी–4 के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण।

(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू–अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

क्र. 3699-जि. भू-अर्जन-2020

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बधिंत हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक–22 (ए) /101/2016/ एमपीएस /31 /1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत् 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है । परियोजना

के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा–11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है।

— अनुसूची —

1.–भूमि का विवरणः–

जिला	तहसील / रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. बंडोल	ग्राम नारायणगंज ब.न.– 360 प.ह.न.– 30	कुल रकबा 1.72 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाडा(म.प्र.)	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी–4 की नहर माइनर नं. 2–एल एंव 3–एल के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण।

(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू–अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

क्र. 3700-जि. भू-अर्जन-2020

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बधिंत हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक–22 (ए) /101/2016/ एमपीएस /31 /1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत्

85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है । परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा–11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है।

— अनुसूची —

1.–भूमि का विवरणः–

जिला	तहसील / रा.नि.म.	नगर / ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सिवनी	**सिवनी** रा.नि.म. सिवनी भाग–1	**ग्राम कारीरात** ब.न.– **59** प.ह.न.– **125**	कुल रकबा 0.05 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह.चौरई जिला छिंदवाडा(म.प्र.)	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा नहर के 18–एल माइनर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण।

(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू–अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

क्र. 3701-जि. भू-अर्जन-2020

आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा–11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है।

— अनुसूची —

1.–भूमि का विवरणः–

जिला	तहसील / रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. बंडोल	ग्राम कुकलाह ब.न.– 69 प.ह.न.– 30	कुल रकबा 2.21 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाडा(म.प्र.)	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी–4 की नहर माइनर नं. 1–एल के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण।

(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू–अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

क्र. 3954-जि. भू-अर्जन-2020 सिवनी, दिनांक 1 जुलाई 2020

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बधिंत हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक–22 (ए) /101/2016/ एमपीएस /31 /1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत् 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है । परियोजना

के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा–11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है।

— अनुसूची —

1.–भूमि का विवरणः–

जिला	तहसील / रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सिवनी	छपारा रा.नि.म. छपारा	ग्राम पिपरिया ब.न.– 439 प.ह.न.– 40	कुल रकबा 7.49 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाडा(म.प्र.)	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी–3 नहर की माइनर नं. 9–एल एवं सबमाइनर 1–आर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण।

(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग कमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

क्र. 3955-जि. भू-अर्जन-2020

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बधिंत हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक–22 (ए) /101/2016/ एमपीएस /31 /1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत् 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है । परियोजना

के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा–11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है।

— अनुसूची —

1.–भूमि का विवरणः–

जिला	तहसील / रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सिवनी	छपारा रा.नि.म. छपारा	ग्राम बाम्हनवाड़ा ब.न.– 505 प.ह.न.– 36	कुल रकबा 2.56 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाडा(म.प्र.)	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी–3 नहर की माइनर नं. 9–एल के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण।

(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग कमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू–अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

क्र. 3956-जि. भू-अर्जन-2020

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बधिंत हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक–22 (ए) /101/2016/ एमपीएस /31 /1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत् 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2644.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है । परियोजना

के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा–11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है।

— अनुसूची —

1.–भूमि का विवरणः–

जिला	तहसील / रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सिवनी	छपारा रा.नि.म. छपारा	ग्राम पायलीकला ब.न.– 423 प.ह.न.– 36	कुल रकबा 4.50 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाडा(म.प्र.)	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी–3 नहर की माइनर नं. 8–एल के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण।

(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू–अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

क्र. 3957-जि. भू-अर्जन-2020

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बधिंत हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक–22 (ए) /101/2016/ एमपीएस /31 /1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत् 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है । परियोजना

के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा–11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है।

— अनुसूची —

1.–भूमि का विवरणः–

जिला	तहसील / रा.नि.म.	नगर/ ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सिवनी	छपारा रा.नि.म. छपारा	ग्राम बिछुआ ब.न.– 522 प.ह.न.– 40	कुल रकबा 0.25 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह.चौरई जिला छिंदवाडा(म.प्र.)	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी–3 नहर की माइनर नं. 9–एल के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण।

(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग कमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू–अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

क्र. 3958-जि. भू-अर्जन-2020

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक–22 (ए) /101/2016/ एमपीएस /31 /1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत् 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है । परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा–11 (3) के अंतर्गत सामाजिक

सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है।

— अनुसूची —

1.–भूमि का विवरणः–

जिला	तहसील / रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सिवनी	छपारा रा.नि.म. छपारा	ग्राम पायलीखुर्द ब.न.– 424 प.ह.न.– 36	कुल रकबा 7.28 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाडा(म.प्र.)	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी–3 नहर की माइनर नं. 7–एल एवं 8–एल के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण।

(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे(प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र.-1-अ-82-2020-2021 **सेंवढ़ा, दिनांक 17 जून 2020**

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो

जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

–:अनुसूची:–

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हेक्टेयर में) लगभग	धारा–11 की उपधारा (2)द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
दतिया	सेंवढ़ा	मरसैनी खुर्द	4.230 हे.	परियोजना प्रबंधक मॉ रतनगढ़ क्रियान्वयन इकाई सेंवढ़ा जिला दतिया (म.प्र)	मॉ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र हेतु।

(2) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण:– अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी अनुभाग सेंवढ़ा जिला दतिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण:– परियोजना प्रबंधक मॉ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई सेंवढ़ा जिला दतिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र.–02–अ–82–2020–2021

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–11

की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

–:अनुसूची:–

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हेक्टेयर मे) लगभग	धारा–11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
दतिया	सेंवढ़ा	अतरैटा	62.160 हे.	परियोजना प्रबंधक माँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई सेवढ़ा जिला दतिया(म0प्र0)	माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण के डूब क्षेत्र हेतु

1. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षणः–अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी अनुभाग सेवढ़ा जिला दतिया म0प्र0 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।
2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षणः–परियोजना प्रबंधक माँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सेवढ़ा जिला दतिया म0प्र0 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र.-3-अ-82-2020-2021

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

—:अनुसूची:—

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हेक्टेयर में) लगभग	धारा—11 की उपधारा (2)द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
दतिया	सेंवढ़ा	डिरौलीडांग	11.790 हे.	परियोजना प्रबंधक मॉ रतनगढ़ कियान्वयन इकाई सेंवढ़ा जिला दतिया (म.प्र)	गॉ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र हेतु।

(2) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षणः— अनुविभागीय अधिकारी एवं भू—अर्जन अधिकारी अनुभाग सेंवढ़ा जिला दतिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षणः— परियोजना प्रबंधक मॉ रतनगढ़ परियोजना कियान्वयन इकाई सेंवढ़ा जिला दतिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र.-4-अ-82-2020-2021

चूंक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा—11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा—11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

—:अनुसूची:—

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हेक्टेयर में) लगभग	धारा—11 की उपधारा (2)द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
दतिया	सेंवढ़ा	विसोर	11.170 हे.	परियोजना प्रबंधक मॉ रतनगढ़ कियान्वयन इकाई सेंवढ़ा जिला दतिया (म.प्र)	मॉ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र हेतु।

(2) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षणः— अनुविभागीय अधिकारी एवं भू—अर्जन अधिकारी अनुभाग सेंवढ़ा जिला दतिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षणः— परियोजना प्रबंधक मॉ रतनगढ़ परियोजना कियान्वयन इकाई सेंवढ़ा जिला दतिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र.-5-अ-82-2020-2021

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संब्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

–:अनुसूची:–

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हेक्टेयर में) लगभग	धारा–11 की उपधारा (2)द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
दतिया	सेंवढ़ा	धोर्रा	7.550 हे.	परियोजना प्रबंधक मॉ रतनगढ़ कियान्वयन इकाई सेंवढ़ा जिला दतिया (म.प्र)	मॉ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र हेतु।

(2) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण:– अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी अनुभाग सेंवढ़ा जिला दतिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण:– परियोजना प्रबंधक मॉ रतनगढ़ परियोजना कियान्वयन इकाई सेंवढ़ा जिला दतिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र.-06-अ-82-2020-2021

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति

अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

–:अनुसूची:–

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हेक्टेयर मे) लगभग	धारा–11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
दतिया	सेंवढ़ा	मरसैनी बुजुर्ग	40.590 हे.	परियोजना प्रबंधक माँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई सेवढ़ा जिला दतिया(म0प्र0)	माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कें डूब क्षेत्र हेतु

1. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण:–अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी अनुभाग सेवढ़ा जिला दतिया म0प्र0 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।
2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण:–परियोजना प्रबंधक माँ रतनगढ़ परियोजना कियान्वयन ईकाई सेवढ़ा जिला दतिया म0प्र0 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.–10–भू–अर्जन–प्र. क्र. 02––अ–82–2019–2020 **जबलपुर, दिनांक 18 जून 2020**

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में अल्लेखित

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हैं

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा ।। के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हे.में)		
1	2	3	4	5	6
जबलपुर	सिहोरा	जुनवानी कला प.ह.नं. 10	0.17	कार्यालय कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र.-4 सिहोरा, जबलपुर	लमकना वितरक नहर की जुनवानी कला माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, रानी अवंती बाई सागर परियोजना इकाई क्रमांक 2 बरगी हिल्स जबलपुर एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-4 सिहोरा, जिला-जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 22 मई 2020

पत्र क्र. 227-प्रका.-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—नईगढ़ी
(ग) ग्राम—खर्रा 190
(घ) क्षेत्रफल—0.061 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
6	0.004
7	0.057
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.061
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ-ब का योग . .	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—"बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बाणसागर बी.पी.टी. पहुंच मार्ग" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 229-प्रका.-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—नईगढ़ी
(ग) ग्राम—बेलहा 742
(घ) क्षेत्रफल—0.070 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
210/2	0.029
229	0.021
206/1, 206/2	0.020
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.070
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ-ब का योग . .	0.070

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—"बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बाणसागर बी.पी.टी. पहुंच मार्ग" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 231-प्रका.-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—नईगढ़ी
(ग) ग्राम—खर्रा 180
(घ) क्षेत्रफल—0.045 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
2	0.045
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.045
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ-ब का योग . .	0.045

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—"बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बाणसागर बी.पी.टी. पहुंच मार्ग" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 30 जून 2020

क्र. 237-कार्य-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वास पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची पूरक प्रकरण

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) नगर/ग्राम—मनकहरी
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.270 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
481	0.062
1687	0.141
1693	0.002
1697	0.014
1731	0.051
कुल योग 05 किता निजी भूमि . .	0.270
शासकीय	0
महायोग 05 किता (1+2). .	0.270

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना जल संसाधन विभाग क्योंटी नहर अंतर्गत सैच्य हेतु लौआ माइनर नं. 4 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुर्नवास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 239-कार्य-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वास पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) नगर/ग्राम—लोहदवार
(घ) क्षेत्रफल लगभग—3.246 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
435	0.369
331	0.008

(1)	(2)	(1)	(2)
430	0.177	1210	0.003
333	0.024	1213	0.044
427	0.004	1215	0.003
429	0.014	1214	0.025
428	0.008	1183	0.027
440	0.001	1143	0.002
422	0.008	1144	0.085
421	0.001	1145	0.001
443	0.089	1146	0.014
441	0.010	1141	0.032
444	0.031	1142	0.029
445	0.003	1140	0.020
453	0.115	1137	0.050
454	0.036	1136	0.070
460	0.016	1135	0.001
451	0.077	1134	0.028
452	0.048	1129	0.016
455	0.001	1130	0.030
457	0.037	1127	0.055
459	0.032	1088	0.104
1410	0.125	1089	0.031
1409	0.019	1087	0.002
1408	0.009	1086	0.018
1407	0.032	1123	0.020
1406	0.065	1090	0.128
1405	0.072	1092	0.061
1404	0.096	1093	0.025
1395	0.050	1079	0.008
1394	0.019	1078	0.025
1403	0.001	1077	0.025
1396	0.002	1094	0.002
1397	0.020	1074	0.034
1399	0.053	1072	0.018
1398	0.020	1076	0.001
1387	0.038	1069	0.007
1388	0.058	1066	0.004
1208	0.012	1068	0.00
1209	0.014	1065	0.02
1211	0.115	1067	0.03
1212	0.001	1063	0.00

(1)	(2)
712	0.00
710	0.06
711	0.00
715	0.02
837	0.00
999	0.07
1075	0.01
कुल योग 89 किता निजी भूमि . .	3.230
शासकीय	0
458	0.010
1132	0.006
कुल योग 2 किता शा.	0.016
महायोग 91 किता (1+2). .	3.246

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना जल संसाधन विभाग क्योंटी नहर अंतर्गत सैच्य हेतु लोहदवार माइनर के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुर्नवास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 18 जून 2020

क्र. 11-भू-अर्जन-प्र. क्र. 01-अ 82-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर

(ख) तहसील—मझौली

(ग) ग्राम—झिंगरई, प.ह.नं. 55/60, नं. बं.-264

(घ) अनुमानित क्षेत्रफल—0.10 हेक्टर.

प्रस्तावित खसरा क्रमांक	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
449/1	0.10
योग . .	0.10

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित भूमि की लमकना वितरक नहर की घाना कला माइनर निर्माण हेतु आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-4, सिहोरा-जबलपुर तथा भू-अर्जन अधिकारी रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना इकाई क्रमांक 2 बरगी हिल्स जबलपुर के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 27 जून 2020

क्र. 3851-भू.अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: "**भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013**" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—धनौरा

(ग) नगर/ग्राम—धनौराखुर्द, प.ह.नं. 24, रा.नि.मं.-धनौरा

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—1.87

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
100	0.03
102/1	0.13
102/2	0.02
102/3	0.32
268/3	0.03
268/6	0.03
268/5	0.03
269	0.07
266/2	0.22
283	0.11
309	0.06
19	0.82
योग . .	1.87

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3852-भू.अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: "**भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013**" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—धनौरा

(ग) नगर/ग्राम—बरेली, प.ह.नं. 46, रा.नि.मं.-धनौरा

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—1.95 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
319	0.15
320/1	0.21
320/2	0.02
341/3	0.06
341/1	0.09
341/2	0.09
346	0.06
352	0.45
355/1	0.20
355/2	0.09
359/1	0.09
359/2	0.09
357	0.05
358	0.26
365/3	0.04
योग . .	1.95

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घंसौर, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3853-भू.अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: "**भूमि अर्जन, पुनर्वासन और**

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013'' की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—केवलारी

(ग) नगर/ग्राम—खरसारू, प.ह.नं. 20, रा.नि.मं.-केवलारी

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.99 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
47	0.09
33	0.18
32	0.08
31	0.24
30/1	0.09
30/2	0.09
9/2	0.01
8	0.10
7	0.11
कुल योग . .	0.99

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3854-भू.अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: **''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013'' की धारा 19** के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—केवलारी

(ग) नगर/ग्राम—खापा, प.ह.नं. 21, रा.नि.मं.-केवलारी

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—8.79 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
7	0.20
6	0.20
8/1	0.11
13/2/1	0.04
13/2/2	0.06
15/1/1	0.18
15/1/2	0.07
14/1	0.06
19	0.06
20	0.04
21	0.16
30/1	0.18
30/2	0.13
27/3	0.15
27/2	0.02
29	0.02
61/2	0.19
194/3	0.08
53/5	0.02
57/5	0.02
54	0.12
55/1	0.29
56	0.13
80/1	0.10
80/2	0.07

(1)	(2)
79/2	0.18
77	0.12
97/1	0.02
97/3	0.15
97/4	0.14
99/3	0.06
99/2	0.06
99/1	0.12
124/2	0.02
123	0.02
147/2	0.06
147/4	0.04
147/3	0.02
142	0.04
194/1	0.09
194/2	0.18
195	0.20
196/1	0.06
196/4	0.10
196/3	0.13
199/2	0.16
380/2	0.21
263	0.09
266/1	0.11
266/3	0.13
266/2	0.05
266/4	0.11
262	0.07
272/2	0.14
273/1	0.32
273/2	0.10
274	0.04
277	0.08
328	0.06
278	0.11
279	0.11
281/2	0.09
281/3	0.09
308	0.22
281/4	0.09
281/5	0.04
206	0.15
205	0.39
379/2	0.17
379/1	0.09
389/3	0.33
389/4	0.16
389/6	0.15
409/1	0.21
409/2	0.21
कुल योग . .	8.79

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3855-भू.अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: **"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19** के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—केवलारी

(ग) नगर/ग्राम—मोहगांव, प.ह.नं. 20, रा.नि.मं.-केवलारी
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.35 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.17
3	0.18
कुल योग . .	0.35

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3856-भू.अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: **''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013'' की धारा 19** के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—केवलारी
(ग) नगर/ग्राम—घरगोंदी, प.ह.नं. 21, रा.नि.मं.-केवलारी
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—4.82 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
96	0.20
97/1	0.18
97/2	0.17
97/3	0.04
93/1	0.15
97/5	0.20
98/2	0.13
98/4	0.03
98/3	0.03
98/1	0.13
101/1	0.08
101/5	0.09
99/2	0.15
92	0.14
86	0.12
87	0.08
83	0.02
82	0.34
81/2	0.06
78	0.16
77/1	0.22
5/4	0.20
9/1	0.04
8	0.20
23	0.03
24	0.20
25	0.20
55/2	0.02
55/3	0.16
155/3	0.02
55/1	0.18
44/3	0.04
44/2	0.12
156/2	0.14
157/2	0.13
158/6	0.08
153/5	0.13
153/1	0.21
कुल योग . .	4.82

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर तिलवारा बायीं तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3860-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः **"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19** के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—धनौरा

(ग) नगर/ग्राम—सुनवारा, प.ह.नं. 34, रा.नि.मं.-धनौरा

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—1.49 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
61	0.80
380/3	0.12
476/1	0.05
404/3	0.05
163/2	0.14
201/3	0.05
201/6	0.18
201/4	0.10
कुल योग . .	1.49

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर तिलवारा बायीं तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3861-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः **"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19** के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—धनौरा

(ग) नगर/ग्राम—रावठान, प.ह.नं. 30, रा.नि.मं.-धनौरा

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—1.17 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
35	0.26
43	0.01
44/1	0.10
44/2	0.10
45/1	0.03
45/2	0.02
46	0.14
63/2	0.04
64	0.08
65	0.07
66	0.10
131	0.14
132	0.05
60	0.01
67/1	0.02
कुल योग . .	1.17

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता

है:—अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, अपर तिलवारा बायीं तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3862-भू.अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: **''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013'' की धारा 19** के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—धनौरा
(ग) नगर/ग्राम—धनौराखुर्द, प.ह.नं.24, रा.नि.मं.-धनौरा
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.80 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
165	0.17
166/1	0.18
166/2	0.07
166/3	0.04
189/1	0.09
189/3	0.08
188	0.08
192/3	0.06
193	0.03
कुल योग . .	0.80

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर तिलवारा बायीं तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3863-भू.अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: **''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013'' की धारा 19** के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—धनौरा
(ग) नगर/ग्राम—सुकवाह, प.ह.नं.31, रा.नि.मं.-धनौरा
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.16 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.10
10/2	0.06
कुल योग . .	0.16

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, अपर तिलवारा बायीं तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.